भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 446

दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: रॉक ग्रोइन का सुदृढ़ीकरण

446. डॉ॰ शशि थरूरः

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 29 जून 2015 को नौवहन मंत्रालय (लघु पत्तन अनुभाग) के उप-सचिव ने पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग को पूंथूरा, तिरुवनंतपुरम में रॉक ग्रोइन के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता के बारे में एक अभ्यावेदन अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त मामले के समाधन के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चंद्र सारंगी)

(क) से (घ) उप सचिव नौवहन मंत्रालय ने 29 जून 2015 को पुंथरा, तिरुवनंतपुरम मे रॉक ग्रोइन के सुदृढीकरण कीं आवश्यकता क़े बारे मे एक अभ्यावेदन अग्रेषित किया है। नीली क्रांति के बारे मे केंद्रिय प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) ; मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसके अधीन तटीय राज्यो / संघ शाषित क्षेत्रों में विद्यमान फिशिंग हार्बर तथा फिश उतराई केंद्रो के नवीकरण सहित उनकी स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देता है और ग्रोइन निर्माण के लिए नही । तदनुसार नौवहन मंत्रालय को जुलाई, 2015 मे सूचित कर दिया गया था कि ग्रोइन का निर्माण तथा सुदृढीकरण (सी एस एस) के अंतर्गत नही आता है ; केरल सरकार को भी सूचना दे दी गई थी ।